

ओर्डर ओफ फीजी या नागरिकों के बहादुरी सम्मान के लिए पुरस्कार पर नामांकन

श्रीमान्

मैं मनोनित करता हूँ

.....
(पूरा नाम)

जो

.....
(पता)

को ओर्डर ओफ फीजी/नागरिकों के बहादुरी सम्मान पुरस्कार पर नामांकन के लिए।

इस सिफारिश के समर्थन में मैं जानकारी देता हूँ जैसा कि इस दस्तावेज़ पन्ना दो से लेकर छः के बीच अंकित है।

आपका आभारी

..... (हस्ताक्षर)

..... अपना नाम लिखें तारीख

सेवा में: सकेटरी
कोलज ओफ होनर,
राज्य भवन,
पी.ओ. बॉक्स 2513,
गवमन्ट बिल्डिंग्स सूवा.

जिस व्यक्ति को पुरस्कार के लिए मनोनित किया गया है का पूरा विवरण।

कृपया उस व्यक्ति की जीवनी पर सभी जानकारी नीचे दिए गए हिस्से में भरे और अगले पन्ने पर पूरा विवरण लिखें। अगर जगह पर्याप्त नहीं है तो आप अलग से बयान साथ लगा सकते हैं। कृपया साफ तौर से लिखें।

उपनाम
अन्य नाम
पिता का नाम
(अगर उपयुक्त हो)
घर का पता
डाक का पता (अगर उपर से अलग हो).....
ईमेल (अगर उपलब्ध हो).....
फोन (घर का) मोबाईल.....
काम-काज
नौकरी का पता (अगर उपयुक्त हो).....
फोन(नौकरी पर) (अगर उपयुक्त हो).....
पहले मिले पुरस्कार और उपाधियाँ:.....
जन्म की तारीख:..... जन्म कहाँ हुआ:
अगर जन्म फीजी से बाहर हुआ तो बताएं:
A. किस तारीख को फीजी आए
B. नागरिकता का विवरण

(सम्मान वाले मामले गोपनीय होते हैं तथा जिन लोगों को मनोनित किया गया है से नागरिकता की जानकारी सीधे ही प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगर जानकारी है तो पेश करें)



नागरिकों के सम्मान और पुरस्कार पर नामांकन के लिए निर्देश

1. किसके पास लिखें

नामांकन किसी एक या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के पास कोलज ऑफ होनर के सकेटरी या औपचारिक रूप से कार्य भार सम्भालने वाले व्यक्ति के पास लिखकर भेजा जा सकता है।

2. ज़रूरी जानकारी

नामांकन के साथ एक ऋणोडेटा होना चाहिए जिनमें ये विवरण शामिल रहना ज़रूरी है:

- पूरा नाम (यह बहुत ज़रूरी है कि यह सही हो तथा वर्तनी भी ठीक हो);
- वर्तमान घर का पता (और डाक का पता अगर वो घर के पते से अलग हो);
- टेलिफोन नम्बर (दफ्तर और काम के बाद);
- जन्म की तारीख या उम्र
- नागरिकता: अगर फीजी का नागरिक न हो तो असल नागरिकता की जानकारी दें;
- सम्मान का विवरण (सामान्य नागरिक या सेना) और या सम्भाली गई प्रसिद्ध नियुक्तियाँ तारीख के साथ अगर सम्भव हो, उदाहरण के तौर पर एम.बी.ई (1980), एम.सी (1994), ई.डी. (1975), जए.पी (1985);
- पढ़ाई-लिखाई और/या हासिल हुए पेशेवर योग्यता
- काम धन्धा/ पेशा
- गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा विवरण जिनके लिए मान्यता माँगी जा रही है;
- अगर सेवा अपनी इच्छा से दी गई थी तो इस बात को ज़रूर अंकित करें। यह ज़रूरी है कि कब किसी विशेष दफ्तर को छोड़ा गया (यदि लागू हो) और कौन सा दफ्तर नामांकित व्यक्ति सम्भाल रहा है।

3. नामांकन देने वाले का विवरण

जो व्यक्ति नामांकन दे रहा है को अपने बारे में यह जानकारी देना होगा;

- पूरा नाम
- वर्तमान घर का पता (और डाक का पता अगर वो घर के पते से अलग हो);
- टेलिफोन नम्बर (दफ्तर और काम के बाद);
- काम धन्धा/ पेशा
- नौकरी का पता और फोन नम्बर

4. बहादुरी के कार्य के विवरण की आवश्यकता

बहादुरी के कार्य के लिए नामांकन में यह जानकारियाँ ज़रूरी हैं:

- इस कार्य का पूरा विवरण जिनके लिए मान्यता की माँग की गई हैनाम
- गवाहों के बयान जो असली होने चाहिए या बयान की कोपी प्रमाणित होनी चाहिए
- कृपया संकेत दें कि क्या फीजी पुलिस, फायर सेविस, एक डाक्टर या अस्पताल इस मामले में शामिल था, और पूरा विवरण दें.
- अखबार की कोपियाँ/समाचार माध्यमों की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है लेकिन इस आधार पर नामांकन नहीं दिया जा सकता है।
- इस मामले पर विडियो या टेप पेश नहीं किए जा सकते हैं।

5. जान खतरा में डालना

बहादुरी का कार्य जहाँ जान खतरे में डाली गई हो पर:

- जहाँ तक हो सके, संकेत दें कि किस हद तक उस व्यक्ति ने जान जोखिम में डाली थी जिनका नाम नामांकित किया गया है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति तथा आम व्यक्ति द्वारा जान जोखिम में डालने वाली बात का ध्यान रखें (उदाहरण जैसे एक पुलिस अफ़सर हमलावर का सामना करता है और दूसरी ओर सत्तर साल का व्यक्ति हमलावर का सामना करता है)
- जिस नामांकन में व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं डाली गई है वो नामांकन सफल नहीं रहता है।

6. दो या उससे ज़्यादा नामांकन

- अगर एक ही बहादुरी वाले कार्य के लिए एक से ज़्यादा लोगों का नामांकन हुआ है तो, सभी व्यक्तियों का पूरा विवरण (नम्बर तीन) और क्या कार्य हुआ था (नम्बर चार) ज़रूरी है। इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी पर ठीक से जानकारी अंकित होनी चाहिए।
- अगर अन्य लोग बहादुरी वाले इस कार्य में शामिल थे लेकिन उनके नाम का नामांकन नहीं किया गया है तो इसका कारण स्पष्ट लिखने की ज़रूरत है।

7. अदालत और अन्य कार्यवाई
अगर किसी बहादुरी के कार्य के कारण अदालती कार्यवाई, पुलिस, आग बुझाने वाली सेवा या अन्य तरह की छानबीन हो रही है तो तबतक व्यक्ति का नाम न दिया जाए जबतक संबंधित कार्यवाई पूरी नहीं हो जाती और व्यक्ति से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी नहीं मिल जाती।
8. बहादुरी वाले अन्य पुरस्कार
अगर मनोनित व्यक्ति का नाम अन्य पुरस्कार के लिए भी मनोनित किया गया है, या शायद उनके कार्य से उन्हें अन्य पुरस्कार या प्रशंसा के लिए शामिल किया जाएगा तो कृपया इसका पूरा विवरण दे।
9. नौकरी संबंधी सेवाएँ
नौकरी करते समय अगर किसी मनोनित व्यक्ति ने बहादुरी का कार्य किया हो तो (उदाहरण के तौर पर पुलिस, आग बुझाने वाली सेवा या सेना) सबसे पहले इन्हें विचार के लिए नौकरी वाली संस्था के नियंत्रण या कमांडिंग अधिकारी के पास सीधा भेजना चाहिए।
10. नामांकन व्यक्ति की सहमति
नामांकन व्यक्ति की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है।
11. नामांकित व्यक्ति का बचाए गए व्यक्ति से रिश्ता
अगर नामांकन व्यक्ति और जिन्हें बचाया गया है के बीच रिश्ता है, तो इस रिश्ते का पूरा विवरण देना चाहिए।
12. नामांकन की समय सीमा
बहादुरी वाले कार्य के बारह महीने के अन्दर नामांकन हो जाना चाहिए। जो कार्य पाँच साल पहले हुए थे के नामांकन पर शायद ध्यान न दिया जाए।
13. असफल नामांकन
नामांकन व्यक्ति के असफल होने का कोई कारण नहीं दिया जाएगा।
14. नामांकन वाले व्यक्ति और मनोनित करने वाले का रिश्ता
अगर नामांकित व्यक्ति और मनोनित करने वाले के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता या व्यापारिक संबंध है तो इसे मनोनित वाले कागज़ात में स्पष्ट करना चाहिए।
15. जाँच-पड़ताल
सम्मान प्रणाली और नामांकन पर जाँच-पड़ताल सीधे कोलज ऑफ ओनर के सक्टेरी, राज्य भवन से पी.ओ. बॉक्स 2513, गवमन्ट बिल्डिंग्स सूवा. ई
[REDACTED]